



10/10/16

64

समक्ष राजस्व मण्डल (सदस्य) ग्वालियर

निम्न 3638 - I - 16

पुनरीक्षणकर्ता -

आवेदकगण -

1. तुलसीराम घोषी आयु 93 वर्ष आ० नन्हेलाल घोषी
2. भवानी सिंह आयु 86 वर्ष आ० नन्हेलाल घोषी
3. अजमेर सिंह आ. भवानीसिंह घोषी (मृत)

वारसान-3. (अ) विनीत आ. अजमेर सिंह घोषी

3. (ब) अमित आ. अजमेर सिंह घोषी
4. प्रकाश सिंह आ. भवानी सिंह घोषी
5. राजरानी जोजे तुलसीराम घोषी

सभी निवासी - ग्राम कमोद,

तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

बनाम

अनावेदिका

- जीरा बाई आ. स्व. छिकौंडी लाल घोषी पति पर्वत सिंह यादव
निवासी - ग्राम अब्दुल्ला गंज, भोजपुर रोड, पुराना रेस्ट हाऊस
के पीछे, जानकी नगर

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)


पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता 1959 के अंतर्गत

पुनरीक्षणकर्तागण रा.मा.कं. 36 अ-6 वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 08.09.2016 पारित अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से असंतुष्ट होकर अन्य आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कि पक्षकारों को अत्र शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है-

-: अपील के तथ्य :-

1. यह कि अनावेदिका के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के समक्ष मौजा बगलई, प.ह.नं. 23, नं.ब. 345, रा.नि.मं. गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के सं.कं. 5/51 आ.दि. 15.11.1998 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील के लंबन में अजमेर सिंह की मृत्यु होने पर उनके वारसान रिकार्ड पर लिये गये। यह कि आवेदिका के पिता छिकौंडी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निगरानी 3638-एक/2016 जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० वाजपेयी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08/09/16 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</p>	<p style="text-align: right;"> सदस्य</p>